इस बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं कि किस अदालती मामले में कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। जहां तक रेल प्रशासनों के पास निलंबित मामलों का सम्बन्ध है, इस प्रकार के आंकड़ों का रख-रखाव व्यवहारिक [नहीं है] क्योंकि बहुत से मामलों में दावे की राशि का उल्लेख नहीं होता है। लेकिन, दावों का निपटारा हो जाने के बाद, भुगतान की राशि सहित कारणवार आंकड़ों का संकलन किया जाता है।

(ख) 1977 के पहले दस महीनों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे पर फर्रुखाबाद के व्यापारियों ने क्षतिपूर्ति के केवल 68 दावे दायर किये थे जिनका निपटारा पहले ही किया जा चुका है। जनवरी, 1977 से नवम्बर 1977 तक की अवधि के दौरान फर्रुखाबाद के व्यापारियों द्वारा दावे दायर किये जाने के बाद उत्तर रेलवे पर 84 दावों पर कार्यवही शुरू की गयी थी जिनमें से केवल सात दावों का निपटारा होना बाकी है।

बारसोई जंक्शन पर पेय जल की सप्लाई

2700. **श्री युवराज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में बारसोई जंकशन पर साफ पेय जल की सप्लाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण जनता को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) क्या बारसोई जंकशन पर उपलब्ध जल आम तौर पर मिट्टी वाला और लाल रंग का होता है ;

(ग) क्या जिवैल वैल फिल्टर द्वारा पानी को साफ करने की व्यवस्था की जानी थी परन्तु बारसोई जंकशन पर सारी मशीनरी पहुंच जाने के बाद उसे मालदाह भेज दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो जंकशन पर साफ किया हुआ पानी कब तक सप्लाई किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख). बारसोई स्टेशन पर पीने का पानी पेय और साफ होता है। इसलिए इस बारे में यात्रियों और कर्मचारियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है।

(ग) और (घ). आजकल बारसोई स्टेशन पर पीने का पानी एक गहरे नलकूप से सप्लाई किया जा रहा है और उसे छानने की जरूरत नहीं है।

इससे पहले जब इस रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी महानन्दा नदी से सप्लाई किया जाता था, तो गंदला होता था और उसे साफ करने के लिए बारसोई स्टेशन पर एक जैवल फिल्टर लाया गया था। किन्तु गहरे नलकूप की व्यवस्था हो जाने के बाद जब छनाई की जरूरत नहीं रही तो उस फिल्टर को मालदा भेज दिया गया।

नागपुर डिवीजन में डी-ग्रेड सहायक स्टेशन मास्टर

2701. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर डिवीजन में वरिष्ठ व्यक्तियों का अतिलंघन कर कनिष्ठ व्यक्तियों को डी-ग्रेड सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था ;

(ख) इसके क्य कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेल विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों के छोटे अंशधारियों को संरक्षण देने के उपाय

2702. **श्री उग्रसेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों में कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप छोटे अंशधारियों को लाभ से वंचित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी । अगर कम्पनियो में कुप्रबन्ध होता है तो छोटे अंशधारी ही नहीं बल्कि सभी अंशधारी लाभांश से वंचित होते है ।

(ख) जहां कहीं भी मालूम पड़ता है कि कम्पनियों के प्रबन्ध में प्रथम दृष्ट या जांच का मामला है तो निरीक्षण या जांच पड़ताल के आदेश, इस सम्बन्ध में शिकायतों में उल्लिखित तथ्यों और कम्पनी कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्टों पर निर्भर करते हुए दिये जाते हैं तथा जो कार्यवाही उचित समझी जाती है, निरीक्षण/जांच रिपोर्टों पर की जाती हैं । कुप्रबन्ध और कम्पनी की परिणामी हानि को रोकने तथा उसके अंशधारियों के लिए कम्पनी विधि बोर्ड, उचित मामलों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत इन कम्पनियों के मंडलों में निदेशक भी नियुक्त करता है ।

Report of First Law Commission regarding Benches of High Courts

2703. SHRI BAPUSAHEB PARULKAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the First Law Commission in its report dated 1st August, 1956 had proposed that the High Court should sit in Benches at different places in a State and that no action was taken on this report by previous Governments;

(b) are the Government aware that as the High Courts at present are situated in capitals of the States the poor litigants are unable to approach the High Courts because of financial difficulties;

(c) whether the Government propose to implement the above proposal of Law Commission and in the real sense implement the present policy of Government to give legal aid to the poor; and

(d) if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) No Sir. On the contrary the Law Commission had expressed a definite view in their Fourth Report (1956) that to maintain the highest standards of administration of justice and to preserve the character and quality of the work being done by the High Court, it is essential that the High Court should function as a whole at one place in the State.

(b) to (d). Government are conscious of the difficulties of the poor litigants. The establishment of Benches for every High Court may not necessarily be the best solution. The recommendations of the Law Commission are also relevant in this connection.

गुजरात में रेलवे वर्कशाप

2704. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में गोंडल, जामनगर और मोरवी स्थित रेलवे वर्कशाप